NOTE FOR PAD

STARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 94

The Reasons for not Holding the Election of Sarpanch

Sub-section (7) of Section 9 of The Haryana Panchayati Raj Act, 1994 provides for reservation to the persons belonging to Backward Class (A) for the Post of Sarpanch, as under:-

"Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved for Backward Classes (A) and shall be allotted by draw of lots among the highest three times the number of Gram Panchayats proposed for reservation for Backward Classes (A) which are having the largest percentage of population of Backward Classes (A) after excluding those Gram Panchayats where the post of Sarpanch is already reserved for Scheduled Castes under sub-section (5) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of offices of Sarpanch in a block so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of offices of Sarpanch reserved for the Scheduled Castes in that block exceeds fifty percent of the total number of offices of Sarpanch in that block, then the number of offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total offices of Sarpanch in that block.

Explanation.- For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes (A) in said block shall be such, as may be drawn from the Family information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government,".

As per the above provision, 8% Gram panchayats i.e. 3 Gram Panchayats, out of total 43 Gram Panchayats of Block Raipur-Rani, were required to be reserved for the office of Sarpanch of Backward Classes 'A'. Accordingly, total 9 Gram Panchayats (Gram Panchayat Bagwali 33.31%, Hangouli 30.6%, Hariyauli 28.31%, Samlehri 28.15%, Hangola 27.14%, Sarkpur 25.44%, Mirpur 24.90%, Kheri 22.71% and Mandalay 21.60%) having the highest population of Backward Classes 'A' as

per Parivar Pehchan Patra data were selected for draw of lots. The draw of lots was carried out on dated 29.09.2022, according to which the post of Sarpanch of Gram Panchayat Hariyoli, Bhagwali and Mirpur were reserved for Backward Class 'A'.

State Election Commission, Haryana Panchkula, vide Notification dated 07-10-2022, issued the program for the election of PRI of District Panchkula. Nomination papers were to be submitted from 14-10-2022 to 19-10-2022. No nomination was received for the post of Sarpanch Gram Panchayat Mirpur reserved for Backward Classes 'A' category, due to which the election for the said post could not be held and the said post is vacant.

The Population data of Meerpur Gram Panchayat was taken from the Parivar Pehchan Patra data provided by CRID. According to which the total population of Meerpur Gram Panchayat is 478, out of which, the population of Backward Classes 'A' category is (24.90%).

It is also relevant to mention here that the Block Development and Panchayats Officer, Raipur-Rani, vide his letter dated 03-10-2022, informed the Deputy Commissioner, Panchkula that Sh. Balak Ram, ex-sarpanch Gram Panchayat Meerpur has submitted a letter to the effect that there is no population of Backward Classes 'A' category in the village and therefore, the reservation of seat of Sarpanch and Panch of ward no.4 for Backward Classes 'A' may be abolished. Without holding any preliminary enquiry and certifying the facts, a letter dated 10-10-2022 was received from the office of Deputy Commissioner, Panchkula through whatsapp with the request to tender advice in the matter. The said letter could not be dealt with in the Directorate of Development and Panchayats and thus neither any advice had been given to the Deputy Commissioner nor the CEO, CRID had been requested to re-verify and correct the population data.

Now CRID has been requested to verify this population data and after verification, the decision would be taken by the Government to get the elections conducted for the vacant post of Sarpanch and Panch of Gram Panchayat Meerpur.

नोट फॉर पैड

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या **94**
सरपंच का चुनाव न करवाने का कारण

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (7) में सरपंच के पद के लिए पिछड़े वर्ग (क) को निम्नलिखित आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है: –

''किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी, पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित होगा तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसुचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतू प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुना संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किये जाएगे:

परंतु जहां इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या जोडे जाने पर, उस खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी।

व्याख्या.– इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसुचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सुचना डाटा कोष से ली जाए,।''

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, पिछड़े वर्गों (क) के सरपंच पद के लिए रायपुर–रानी खण्ड की कुल 43 ग्राम पंचायतों में से 8 प्रतिशत ग्राम पंचायतों अर्थात 3 ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया गया है. तदानुसार कुल 9 ग्राम पंचायतें (ग्राम पंचायत बागवाली 33.31 प्रतिशत, हंगौली 30.62 प्रतिशत, हरियौली 28.31 प्रतिशत, समलेहडी 28.15 प्रतिशत, हंगोला 27.14 प्रतिशत, सरकपुर 25.44 प्रतिशत, मीरपुर 24.90 प्रतिशत, खेडी 22.71 प्रतिशत एवं मांडले 21.60 प्रतिशत) पिछड़े वर्गों (क) की सबसे अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार ड्रा ऑफ लॉटस के लिए चुना गया

था। दिनांक 29.09.2022 को ड्रॉ ऑफ लॉटस के अनुसार ग्राम पंचायत हरिओली, भगवाली एवं मीरपुर के सरपंच का पद पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित की गई।

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा पंचकूला ने अधिसूचना दिनांक 07–10–2022 द्वारा जिला पंचकूला के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया। नामाकंन पत्र दिनांक 14.10.2022 से 19.10.2022 तक प्रस्तुत किये जाने थे। पिछड़े वर्ग (क) के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत मीरपुर के सरपंच पद के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। जिसके कारण इस पद के लिये चुनाव नहीं हो सका और यह पद रिक्त है।

मीरपुर ग्राम पंचायत का जनसंख्या का डाटा CRID द्वारा उपलब्ध किए गए परिवार पहचान पत्र डाटा से लिया गया था। जिसके अनुसार मीरपुर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 478 है, जिसमें पिछड़े वर्गों (क) श्रेणी 119 (24.90%) है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रायपुर–रानी ने उसके पत्र दिनांक 03–10–2022 द्वारा उपायुक्त को सूचित किया कि श्री बालक राम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मीरपुर ने प्रार्थना की है कि गांव में पिछड़ी श्रेणी (क) की कोई जनसंख्या नहीं है इसलिए सरपंच व वार्ड नं0 4 के पंच पद जो पिछड़े वर्ग (क) के लिये आरक्षित है, का आरक्षण समाप्त किया जाये। बिना प्रारंभिक जांच या तथ्यों को तसदीक किये उपायुक्त कार्यालय से व्हॉटअॅप के माध्यम से एक पत्र दिनांक 10.10.2022 मामले में मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुआ। विकास एवं पंचायत निदेशालय में यह पत्र डील नहीं किया जा सका और इस प्रकार न ही उपायुक्त पंचकूला को मार्गदर्शन दिया गया और न ही सी0ई0ओ0 CRID को जनसंख्या के आंकडे तसदीक व ठीक करने के लिये लिखा जा सका।

अब CRID से अनुरोध किया गया है कि इस जनसंख्या के आंकड़ों का सत्यापन किया जाए और सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत मीरपुर के सरपंच व पंच के रिक्त पदों पर चुनाव करवाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा।